न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 24/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/109

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. कमला देवी उर्फ कमली पुत्री सेकाराम उर्फ सेखा उर्फ सेखला पत्नी रावाराम, निवासी आम चौराहा, किशनगढ़ जिला जालोर (राज.)		1. जमना देवी पत्नी सेकाराम उर्फ सेखा उर्फ सेखला 2. राजाराम पुत्र सेकाराम उर्फ सेका उर्फ सेखला 3. दरिया देवी पत्नी अमराराम 4. मोहिनी पुत्री अमराराम 5. रिंकू देवी पुत्री अमराराम 6. श्रवण पुत्री अमराराम निवासी धींगाणा, तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली
2. सन्धू उर्फ चन्दूड़ी पुत्री सेकाराम उर्फ सेखला पत्नी प्रकाश निवासी सेदरिया तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		
3. सुजुकी देवी पुत्री सेकाराम उर्फ सेखा उर्फ सेखला पत्नी कनाराम, निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह चौहान
रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **24.11.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 10.02.1995 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह चौहान व रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना वक्त बहस उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स को जारी सम्मन तामील होने के बावजूद वक्त बहस न्यायालय समय में बार–बार आवाजे लगाये जाने पर न्यायालय में अनुपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 194/1 एवं

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

खसरा संख्या 194/2 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा ग्राम घींगाणा पटवार हल्का कुलथाणा तहसील रोहट में आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट संख्या 01, अपीलाण्ट संख्या 02 व अपीलाण्ट संख्या 03 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद केवल सेखला के उत्तराधिकारी जमना, राजाराम एवं अमराराम के पक्ष में जैर नामान्तकरण भर दिया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी अपीलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर नामान्तरकरण खारिज करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा जाब्ता के आवेदन, अखंडित शपथ–पत्र एवं समायतशुदा बहस के आधार हम प्रार्थना–पत्र दफा 05 एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह कि अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 194/1 एवं खसरा संख्या 194/2 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा ग्राम घींगाणा पटवार हल्का कुलथाणा तहसील रोहट में आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट संख्या 01, अपीलाण्ट संख्या 02 व अपीलाण्ट संख्या 03 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद केवल सेखला के उत्तराधिकारी जमना, राजाराम एवं अमराराम के पक्ष में जैर नामान्तकरण भर दिया जो काबिले खारिज है।

प्रकरण में सर्वप्रथम गुणावगुण पर विवेचन के बिना हस्तगत प्रकरण में हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट स्वयं द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवंत् 2078–2081 का अवलोकन किया तो यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि उक्त जमाबन्दी में वर्णित जैर विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता में से एक पक्षकार तुलसी पत्नी धनाराम भी वर्णित है एवं जैर प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त पक्षकार का संयोजन ही नहीं किया है एवं न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर आराजी के उक्त खातेदार को पक्षकार संयोजित करने के संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र अथवा वक्त बहस कोई तथ्य पेश किये अर्थात् अधिवक्ता अपीलाण्ट मिथ्या अभिवचनों के आधार पर जैर आराजी के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं आये है। न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष सद्भावित एवं साफ हाथों से नहीं आये है बल्कि गलत तथ्यों पर आधारित अपील पेश की है। न्यायालय में सत्य का महत्व सबसे ऊपर होता है। अगर कोई पक्षकार या उसका वकील जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायालय को गुमराह करना माना जाता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (abuse of process of law) माना जाता है। न्यायालयों ने कई बार यह निर्णय दिया है कि यदि कोई याचिका या अपील झूठ पर आधारित हो, तो उसे खारिज किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों मे यह कहा है कि "He who comes to the court must come with clean hands." जब कोई पक्ष न्यायालय से उचित न्याय चाहता है तो उसका परम कर्त्तव्य है कि वह "clean hands." सिद्धान्त के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आये। यदि पक्षकार ने अपने पक्ष में राहत हेतु जरूरी तथ्यों को जान–बूझकर छुपाया है, तो वह equity और discretionary jurisdiction का दावा खो देता है। ऐसी याचिका बिना अच्छे कारण पर विचार किए ही खारिज की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त S.J.S. Business Enterprises vs. State of Bihar (2004)/Arunima Baruah vs. Union of India (2007) के अनुसार जहां सच्चाई छिपाई गई है और वह तथ्य मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो न्यायालय discretionary relief देने में सक्षम नहीं होता क्योंकि पक्षकार स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं आये है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा में समान प्रकृति के विरासत के नामान्तरकरण की अपील संख्या 25/2025 एवं अपील संख्या 26/2025 में यह भी प्रकट आया है कि उक्त खसरा के सभी मूल खसरा से संबंधित एक वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है एवं उक्त वाद में स्थगन आदेश प्रचलित है तथा प्रचलित स्थगन आदेश की संबंधित खसरा संख्या की जमाबंदी में नोट भी अंकन किया गया है तो अब हस्तगत नामान्तरकरण अपील प्रकरण में निर्णय करना, वादों की बहुलता उत्पन्न करना होगा।

अतः उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत ग्राम धींगाणा के नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 10.02.1995, जो कि एक summary proceeding है में हम किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

लिहाजा अपील–अपीलाण्ट पक्षकारों के कुसंयोजन एवं अविधिक होने के कारण खारिज की जाती है एवं ग्राम धींगाणा के नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 10.02.1995 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **24.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली